दिनांक-16.02.2026 को प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में गन्ना कृषि क्षेत्रों में जल-जमाव के निराकरण हेतु समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

दिनांक-16.02.2026 को प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में ईखायुक्त, बिहार, गन्ना विभाग के अधिकारियों, सुगर मिलों के प्रतिनिधियों तथा जल संसाधन विभाग के संबंधित मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, एवं कार्यपालक अभियंता के साथ गन्ना कृषि क्षेत्रों में जल-जमाव के निराकरण हेतु समीक्षा बैठक की गई।

बैठक में गन्ना कृषि क्षेत्रों में जल-जमाव के निराकरण हेतु दिनांक-30.01.2026 को दिये गये निदेशो के अनुपालन की समीक्षा की गई जिसमें मुख्यतः गन्ना कृषि क्षेत्रों में जल जमाव के निराकरण हेतु किये जा रहे सर्वेक्षण कार्य एवं अद्यतन कार्रवाई पर विस्तृत चर्चा की गई। गन्ना आच्छादित जिलों यथा पश्चिमी चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, गोपालगंज, सीवान, समस्तीपुर एवं बेगुसराय जिलें में अभी तक कुल 319 योजनाओं का चयन किया गया है, जिससे लगभग 2.45 लाख एकड़ क्षेत्रफल को जल-जमाव से मुक्त किया जा सकेगा। मनरेगा (जी राम जी) तहत् गन्ना कृषि क्षेत्रों में जल जमाव के निराकरण हेतु इस विभाग द्वारा अभी तक कुल 318 योजनाओं की सूची को संबंधित जिला कार्यक्रम समन्वयक, मनरेगा (जी राम जी) को समर्पित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 01 (एक) योजना जो मृत बागमती नदी से संबंधित है को विभागीय स्तर से कराये जाने का निदेश प्राप्त है।

- **समीक्षात्मक बैठक के दौरान दिये गये निदेश निम्नवत् है :-**

1. मसान नदी पर तटबंध निर्माण के लिए भू-अर्जन प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु संबंधित क्षेत्रीय अभियंता माह-अप्रैल तक शेष बचे मौजों का सर्वेक्षण कार्य कर भू-अर्जन अधियाचना जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को उपलब्ध कराये।

   (कार्रवाईः-मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर)

2. गन्ना कृषि से संबंधित वैसे क्षेत्र जहाँ पर मॉनसून अवधि में जल निकासी ससमय नही होने पर जल जमाव बना रहता है, की सूची गन्ना विभाग द्वारा जल संसाधन विभाग के अभियंताओं के साथ साझा किया जाय। मगध सुगर मिल्स, सिधवालिया के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि उनके पास वर्णित चीनी मिल्स के जल जमाव वाले क्षेत्रों की सूची उपलब्ध है। मुख्य अभियंता सूची के अनुरूप क्षेत्रों का संयुक्त सर्वेक्षण कराकर योजना प्राक्कलन तैयार करें।

   (कार्रवाईः-ईखायुक्त, बिहार/मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर/समस्तीपुर/गोपालगंज)

3. बैठक में विभाग के मुख्य अभियंता द्वारा बताया गया कि गन्ना कृषि क्षेत्रों से जल निकासी हेतु कई योजनाओं में भू-अर्जन का मामला बनता है। जिन योजनाओं में भू-अर्जन की स्थिति है, उन्हे मध्यम अवधि एवं वृहद अवधि में पूर्ण होने वाली योजनाओं की श्रेणी में रखकर इसे Two Tier Basis पर तैयार करने हेतु निदेशित किया गया।

   (कार्रवाईः-मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर/समस्तीपुर/गोपालगंज)

4. बैठक में बताया गया कि कांवर झील से निसृत चैनल पर चेक डैम निर्माण होने से संबंधित क्षेत्र में गन्ना कृषि उत्पादन पर होने वाले प्रतिकूल प्रभाव के आकलन हेतु समिति का गठन किया गया है। चीनी मिल के प्रतिनिधि वर्णित क्षेत्र में ग्रामवार जलजमाव का आकड़ा क्षेत्रीय अभियंताओं के साथ साझा करें ताकि विस्तृत जाँच कर इसका आकलन किया जा सके।

(कार्रवाई:- ईखायुक्त,बिहार/मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, समस्तीपुर)

5. बैठक में मुख्य अभियंता, समस्तीपुर द्वारा बताया कि मृत बागमती नदी के तल की औसतन चौड़ाई लगभग 35 मी0 रहने के कारण इस योजना का कार्यान्वयन विभागीय स्तर से किया जाना उचित प्रतीत होता है। वृहद अवधि में इस योजना के कार्यान्वयन निमित विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु निदेशित किया गया।

(कार्रवाई:-मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, समस्तीपुर)

6. जल संसाधन विभाग के नामित नोडल पदाधिकारियों को मनरेगा (जी राम जी) अन्तर्गत कार्यान्वन ईकाई के रूप में कार्यान्वित किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में योजना के सफल कार्यान्वयन निमित नोडल पदाधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु ग्रामीण विकास विभाग से अनुरोध किया जा सकता है।

(कार्रवाई:- अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-4)

7. नदियों/नालो/धारों जिसके निकास/प्रवाह मार्ग को अतिक्रमित कर संकीर्ण कर दिया गया है की सूची तैयार कर एक सप्ताह के अंदर इसे संबंधित जिला पदाधिकारी को उपलब्ध कराने के साथ साथ इसकी सूची विभाग को भी उपलब्ध कराये।

(कार्रवाई:- सभी मुख्य अभियंता)

8. गन्ना कृषि क्षेत्रों से संबंधित योजनाओं की सूची जो जिला कार्यक्रम समन्वयक, मनरेगा को उपलब्ध करा दी गई है पर शीघ्र कार्रवाई हेतु अद्योहस्ताक्षरी के स्तर से संबंधित सभी जिला पदाधिकारी को अवगत कराने हेतु निदेश दिया गया। तदोपरान्त मुख्य सचिव महोदय, बिहार से समरूप कार्रवाई हेतु अनुरोध किया जा सकता है।

(कार्रवाई:- अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल)

9. गन्ना विभाग के प्रतिनिधि द्वारा राज्य में जो चीनी मिल बंद पड़े है उन गन्ना कृषि क्षत्रों में सिंचाई की स्थिति से अवगत कराने हेतु नहरवार Google Map, KML file की माँगी गई है। इस संबंध में गन्ना विभाग को वैसे गन्ना कृषि क्षेत्रों की विवरणी क्षेत्रीय अभियंताओं के साथ साझा करने हेतु कहा गया।

(कार्रवाई:-ईखायुक्त,बिहार/अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन)

10. बैठक में उपस्थित पदाधिकारीगण एवं सुगर मिल्स के प्रतिनिधिगण की सूची परिशिष्ट-02 में संलग्न है।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

(संतोष कुमार मल्ल)

ज्ञापांक- बाढ़(मो0)सिं0वि0-60/2024-779 /पटना, दिनांक- 05-03-026

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित।

05/03/2026

(वरुण कुमार)
अभियंता प्रमुख,
बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण

ज्ञापांक- बाढ़(मो0)सिं0वि0-60/2024-779 /पटना, दिनांक-05-03-026

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार को सूचनार्थ समर्पित।

05/03/2026

(वरुण कुमार)
अभियंता प्रमुख,
बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण

ज्ञापांक- बाढ़(मो0)सिं0वि0-60/2024-779 /पटना, दिनांक-05-03-026

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, आई०टी०, जल संसाधन विभाग, पटना को संबंधितों के ई-मेल करने एवं बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

05/03/2026

(वरुण कुमार)
अभियंता प्रमुख,
बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण

ज्ञापांक- बाढ़(मो0)सिं0वि0-60/2024-779 /पटना, दिनांक-05-03-026

प्रतिलिपि- श्री संजय कुमार सिंह, भा0प्र0से0, विशेष कार्य पदाधिकारी, गृह विभाग को सादर सूचनार्थ समर्पित। कृपया माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय को अवगत कराने की कृपा की जाय।

05/03/2026

(वरुण कुमार)
अभियंता प्रमुख,
बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण